(92)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

**अध्यक्ष**

प्रकरण कमांक निगरानी 3849—पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12—8—2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 57/2012—13/स्वमेव निगरानी.

1—दामोदर प्रसाद पुत्र रामदयाल

2—किशोरीबाई पत्नी दामोदर प्रसाद

निवासी ग्राम सेंथरी तहसील व जिला ग्वालियर

..............आवेदकगण

**विरूद्ध**

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा : कलेक्टर जिला ग्वालियर म0प्र0

..............अनावेदक

श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक—आवेदकगण

श्री डी0के0शुक्ला, पेनल लॉयर—अनावेदक

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 16/5/15 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—8—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 21/2012–13/172(1)अ–2 में दिनांक 12–12–2012 को आदेश पारित कर आवेदक की भूमि 6,15,377 वर्गफुट का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश में अनियमितता पाते हुये कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 57/12–13/स्वमेव निगरानी में दर्ज कर दिनांक 12–8–2013 को आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–12–2012 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धाराओं का उल्लेख करते हुये प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जबकि उक्त धारा का उपयोग केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा ग्वालियर नगर में लागू मास्टर प्लान का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है, क्योंकि ग्वालियर महानगर में मास्टर प्लान अभी लागू नहीं है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधिवत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रेलवे लाईन के 30 मीटर के अन्दर स्थित भूमि का व्यपवर्तन

किया गया है, जबकि रेलवे लाईन के 30 मीटर के अन्तरण का व्यपवर्तन प्रतिबंधित है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित व्यपवर्तन आदेश पूर्णत अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसे स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12—8—2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 3898—पीबीआर/13 (मैसर्स जी0एस0लिजिंग एण्ड प्रा.लि. विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) तथा निगरानी प्रकरण कमांक 3899—पीबीआर/13 (मैसर्स गुप्ता एण्ड संस मोटर्स विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) पर भी लागू होगा । अतः इस निगरानी आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

**(मनोज गोयल)**
**अध्यक्ष**
**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश**
**ग्वालियर**